उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–984/ग्यारह–9(47)/17–उ0प्र0 एक्ट–1–2017–आदेश–(43)–2019

लखनऊ::दिनांक:: 02 जुलाई, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर और इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–810/ग्यारह–9(47)/17–उ0प्र0 एक्ट–1–2017–आदेश–(38)–2019 दिनांक 28 मई, 2019, में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, स्तम्भ (3) में, खण्ड 7 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"8. जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने इस अधिसूचना के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है, इलेक्ट्रानिक निवेश खाते या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर जैसा कि इस अधिसूचना के तहत की गई आपूर्ति, उक्त अधिनियम की धारा 18 (4) और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधो को आकर्षित करती हो तथा ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।"।

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017, जो ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का भुगतान कर रहा हो, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होगी जो इस अधिसूचना के अधीन कर का भुगतान कर रहा हो ।"।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

Alok

(आलोक सिन्हा)

अपर मुख्य सचिव